दिनाक 04.10.2020
प्रेस विज्ञप्ति 04/20

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद हापुड़ /थाना बाबूगढ़</u>

• पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार

• तीन अवैध तमन्चा 315 बोर 3 जीवित दो खोखा कारतूस एक दो पहिया वाहन, व 02 मोबाइल फोन बरामद

दिनांक 04/10/2020 को थाना बाबूगढ़ व क्राइम ब्राच की सयुक्त टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना बाबूगढ़ क्षेत्रान्तर्गत पुलिस कार्यवाही के दौरान पुरस्कार घोषित अपराधी 1.फारूख, सहित 2. आजम, 3. नबिया को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे से तीन अवैध तमन्चा 315 बोर तीन जीवित दो खोखा कारतूस एक दो पहिया वाहन, 02 मोबाइल फोन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त फारूख, आजम, व नविया शातिर किस्म के अपराधी है, अभियुक्त फारूख के विरूद्ध उत्तराखण्ड प्रान्त व जनपद हापुड़ के विभिन्न थानो में चोरी लूट अपहृण, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, गैगेस्टर एक्ट, आर्मस एक्ट, आदि के 16 अभियोग, अभियुक्त आजम व नविया के विरूद्ध लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है, तथा गिरफ्तार अभियुक्त जनपद स्तर से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बाबूगढ़ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1. फारूख निवासी सरवरखेड़ा थाना कुण्डा जनपद उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड ।
2. आजम निवासी काशीपुर थाना को0नगर जनपद काशीपुर उत्तराखण्ड ।
3. नविया निवासी परतापुर थाना बीबीनगर जनपद बुलन्दशहर उ0प्र0 ।

<u>बरामदगी</u>

1. तीन अवैध तमन्चा 315 बोर, तीन जीवित कारतूस, दो खोखा कारतूस ।
2. एक दो पहिया वाहन ।
3. दो मोबाइल फोन ।

<u>जनपद बरेली /थाना बहेड़ी</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **एक तमंचा 315 बोर, दो खोखा कारतूस, 02 जीवित कारतूस 315 बोर, एक पिकअप वाहन आदि बरामद**

दिनांक 04/10/2020 को थाना बहेड़ी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुलिस कार्यवाही के दौरान पुरस्कार घोषित अपराधी राजू को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अदद अवैध तमन्चा 315 बोर मय दो खोखा कारतूस व दो जीवित कारतूस 315 बोर, 01 पिकअप वाहन आदि बरामद किया गया ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त राजू शातिर किस्म का अपराधी है, अभियुक्त विरूद्ध हत्या, मारपीट व आर्म्स एक्ट, आदि के कई अभियोग पंजीकृत है, तथा गिरफ्तार अभियुक्त राजू थाना बहेडी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 585/2020 धारा 302/201/377 भादवि में वाछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बहेडी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1. राजू निवासी वार्ड नं0 6 न्यू सोनहरी कस्बा व थाना किच्छा जिला उधमसिंह नगर ।

<u>बरामदगी</u>

1. एक तमंचा 315 बोर, दो खोखा कारतूस, दो जिन्दा कारतूस 315 बोर, एक पिकअप वाहन आदि ।

<u>जनपद शाहजहाँपुर/थाना जैतीपुर</u>

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करता शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **5 बने/अधबने अवैध शस्त्र विभिन्न बोर व शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद**

दिनांक 04/10/2020 को थाना जैतीपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बहगुल नदी पर बने पुल के पास अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करता शातिर अभियुक्त पटेलाल को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 5 बने / अधबने अवैध शस्त्र विभिन्न बोर व शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना जैतीपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1.पटेलाल निवासी ग्राम किसान गौटिया थाना जैतीपुर जिला शाहजहाँपुर

बरामदगी

1.दो तमंचा देशी 315 बोर नाजायज मय दो अदद कारतूस जीवित 315 बोर ।

2.एक बन्दूक 12 बोर नाजायज व एक अदद कारतूस 12 बोर जीवित ।

3.दो अर्धनिर्मित देशी तमंचे 12 बोर व शस्त्र बनाने उपकरण/पुर्जे ।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर / थाना सेक्टर 20

- **पुलिस कार्यवाही में दो अभियुक्त गिरफ्तार**
- **12 लाख रू0 कीमत का 120 किलो ग्राम अवैध गांजा, टाटा जेस्ट गाड़ी, 02 अवैध तमंचे, 04 जीवित कारतूस, 02 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 04/10/2020 को थाना सेक्टर 20 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गोल चक्कर चौराहे के पास बदमाशो की घेराबन्दी की गई तो बदमाशो ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—रवि 2—चन्दन कुमार घायल हो गये। गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे से 45 लाख रू0 किमत का 130 किलो ग्राम अवैध गांजा, टाटा की जेस्ट गाड़ी, 02 अवैध तमंचे 04 जीवित कारतूस, 02 खोखा कारतूस बरामद हुए। घायलो को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया ।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर 20 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रवि नि0 झुग्गी नं04 जेजे कालोनी सेक्टर—18 गौतमबुद्वनगर।

2—चन्दन कुमार नि0 झुग्गी नं04 जेजे कालोनी सेक्टर—18 गौतमबुद्वनगर।

बरामदगी

1. 12 लाख रू0 कीमत का 120 किलो ग्राम अवैध गांजा,
2. दो अवैध तमंचे, 04 जीवित कारतूस, 02 खोखा कारतूस
3. टाटा की जेस्ट गाड़ी।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना बुढ़ाना

- **पुलिस कार्यवाही में 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 07 मोटरसाइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस, 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 04.10.2020 को थाना बुढ़ाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान चन्देडी रोड के पास मोटरसाइकिल सवार बदमाशों की घेराबंदी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी पुलिस कार्यवाही के उपरांत अभियुक्त 1—आशीष 2—शाहवेज को गिरफ्तार किया गया। मौके से एक अन्य अभियुक्त फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 07 मोटरसाइकिल, 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस, 01 खोखा कारतूस बरामद हुये।

पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने जनपद व आसपास के क्षेत्रों से दो पहिया वाहन चुराकर बेचना स्वीकार किया।

इस संबंध में थाना बुढ़ाना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आशीष नि0 ग्राम भडल थाना दोधट बागपत।

2—शाहवेज नि0 मो0 करबला रोड कस्बा व थाना बुढ़ाना मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1—07 मोटरसाइकिल।

2—01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस, 01 खोखा कारतूस

साइबर क्राइम उ0प्र0– फर्जी वेबसाइट बनाकर माइनिंग के परिवहन हेतु वाहनो के फर्जी ई–रवन्ना (रायल्टी पेपर) जारी कर उत्तर प्रदेश सरकार को लगभग 2,00,00,00,000(दो सौ करोड़) रूपये आर्थिक क्षति पहुँचाने वाले गिरोह के अभियुक्तगणो को साइबर क्राइम थाना लखनऊ की टीम ने जनपद लखनऊ से किया गिरफ्तार–

उत्तर प्रदेश खनन विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा शिकायते प्राप्त हो रही थी कि खनन विभाग में फर्जी ई–रवन्ना (मडड11 रायल्टी पेपर) बनाकर हजारो ट्रको से अवैध तरीके से बालू, मोरंग व गिट्टी की निकासी की जा रही है। जिससे सरकार को लगभग 2,00,00,00,000(दो सौ करोड़) राजस्व की क्षति हो चुकी है। उपरोक्त मामले में श्री सुभाष रंजन (खनन अधिकारी) भू– विज्ञान और खनन निदेशालय खनिज भवन 27/8 राजा राम मोहन राय मार्ग लखनऊ, उ0प्र0 द्वारा थाना साइबर क्राइमस लखनऊ पर मु0अ0सं0 01/2020 धारा 420/467/468/471 भा0द0वि0 व 66,66सी आई0टी0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया तथा विवेचना के दौरान धारा 120 बी भा0द0वि0 व 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम, 3/57/70 उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली व धारा 3/5 सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम की बढ़ोतरी की गयी. श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम उ0प्र0 श्री राम कुमार द्वारा अनावरण हेतु निर्देशित किया गया। जिसपर प्रो0 त्रिवेणी सिंह पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम उ0प्र0 के पर्यवेक्षण मे उक्त अपराध को गंम्भीरता से लेते हुए एक कुशल टीम गठित की गई एवं तकनीकी संसाधनो के प्रयोग एवं सूचना तंत्र को सक्रिय करते हुए अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी, जिनके द्वारा पूर्व में अपराध में लिप्त अभियुक्तगण 1.सचिन सिंह, 2.अखिलेश प्रताप सिंह, 3. जीवनलाल सिंह, 4. शिवाँशु रस्तोगी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

दिनांक 03.10.2020 को मुकदमा अपराध उपरोक्त में खनन विभाग की फर्जी वेबसाइट बनाकर फर्जी रवन्ने निकालकर ट्रक ड्राइवरो एवं दलालो को बेचने वाले गिरोह के सदस्य मुकेश, मनोज, अंकित व विशाल की संलिप्पता पाये जाने पर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गयी। उपरोक्त गैंग के तार काफी ऊपर तक फैले है, जिनके सम्बन्ध में विवेचना प्रचलित है। जाचोपरान्त साक्ष्य के आधार पर अपराध में शामिल अन्य व्यक्तियो के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। अन्य परिक्षेत्रीय साइबर क्राइम थानो को भी अपराध व अपराधियो के सम्बन्ध में अवगत कराकर अभियुक्तो की धर पकड़ करने के निर्देश जारी किये गये है।

अपराध करने का तरीका:

अभियुक्तगण द्वारा खनन विभाग की आफिशियल वेबसाइट के डोमेन से मिलता जुलता डोमेन पर्चेज कर उसको होस्ट कराया जाता था तथा खनन विभाग की वेबसाइट का

सोर्स पेज कापी कर फर्जी वेबसाइट में पेस्ट कर दिया जाता था, और अपने हिसाब से उसका सेटअप तैयार किया जाता था। वेबसाइट में मडड 11 डाउनलोड करने का फीचर तैयार करने हेतु खनन विभाग की वेबसाइट में उपलब्ध मडड11 रवन्नो के पेज सोर्स को कापी कर फर्जी वेबसाइट में पेस्ट कर एक बार सेटअप तैयार कर लिया जाता था तथा सही रवन्ना नम्बर के क्रम संख्या को बदलकर पेज सोर्स में गाड़ियो के नम्बर, ड्राइवर के नाम, मो0न0, वैधता दिनांक इत्यादि बदल दिया जाता था और यही प्रक्रिया बार–बार की जाती थी। इस डेटा को क्यू0आर0 कोड स्टूडियो के माध्यम से क्यू0आर0 कोड में परिवर्तित कर लिया जाता था। पुनः इस क्यू0आर0 कोड को प्रिन्ट किये गये फर्जी रवन्ने पर पेन्ट साफ्टवेयर के माध्यम से पेस्ट कर दिया जाता था। तथा लोगो को कम दाम में उपलब्ध कराया जाता था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

1. मुकेश कुमार केसरी पुत्र मुन्नीलाल केसरी नि0 मेजा खास थाना कोतवाली मेजा जनपद प्रयागराज
2. मनोज कुमार केसरी पुत्र मुन्नीलाल केसरी नि0 मेजा खास थाना कोतवाली मेजा जनपद प्रयागराज।
3. अंकित कुमार केसरी पुत्र मुकेश कुमार केसरी नि0 मेजा खास थाना कोतवाली मेजा जनपद प्रयागराज।
4. विशाल कुमार केसरी पुत्र मुकेश कुमार केसरी नि0 मेजा खास थाना कोतवाली मेजा जनपद प्रयागराज

बरामदगी का विवरण:

- एन्ड्रायड मोबाइल RealmeXT –01 अदद।
- एन्ड्रायड मोबाइल Realme U1 –01 अदद।
- एन्ड्रायड मोबाइल Vivo 1714 –01 अदद।
- एन्ड्रायड मोबाइल Redmi Note 8 pro –01 अदद।
- एन्ड्रायड मोबाइल Redmi 6 –01 अदद।
- लैपटाप HP –02 अदद।
- लैपटाप ।CER –01 अदद।
- डेस्कटाप कम्प्यूटर(INTEX) –02 अदद।

<u>जनपद मऊ(गैगेस्टर एक्ट में अपराधी की 60 लाख 18 हजार रू0 कीमत की सम्पत्ति जप्तीकरण की कार्यवही</u>

जनपद मऊ पुलिस द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाले अपराधी राजेश उर्फ राजन सिंह द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई चल/ अचल सम्पत्ति कीमत करीब 60 लाख 18 हजार रूपये की गैगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत जप्तीकरण की कार्यवाही की गई ।

————